राजस्व लोक अदालत अभियान
''न्याय आपके द्वार–2017''

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : वार सिंह, RAS.
पत्रावली संख्या : 42/16 (वाद)

1. श्रीमती नंदकुॅवर पुत्री सवसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
2. श्रीमती कैलाश कुॅवर पुत्री सवसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

...........वादीगण

बनाम

1. श्री हिम्मतसिंह पिता सवसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
2. श्री प्रतापसिंह पिता लालसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
3. श्री प्रेमसिंह पिता लालसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
4. श्री भभुतसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
5. राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित : 1–श्री मुकेश कुमार गोपावत, अधिवक्ता वादीगण
2– श्री विनोद कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.05.17

1. पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान ''न्याय आपके द्वार–2017'' कैम्प कोर्ट अमरपुरा जागीर पर पेश हुई । वादीगणों द्वारा निवेदन किया कि मौजा

अमरपुरा पटवार मण्डल अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 101 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । इस भूमि के खातेदार काश्तकार श्री फतहसिंहजी थे । उनके निधन के बाद उनके तीनों पुत्रो में हिस्सा बराबर से निहीत हुआ और तीनों भाईयो में मध्य हुऐ फैमिली सेटलमेंट के तहत आराजी नम्बर 101 के तीन बटा नम्बर 101/1 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांशी, आराजी नम्बर 101/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांशी एवम आराजी नम्बर 101/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कायम हुऐ ।

2. उक्त आराजी नम्बर 101/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण एवम आराजी नम्बर 101/1 में 40/143 हिस्सा एवम आराजी नम्बर 101/2 में 54/151 हिस्सा सवसिंह पिता फतहसिंह के नाम दर्ज हुआ । उक्त वर्णित अनुसार वादीगण एवम प्रतिवादी संख्या–1 के पिता श्री सवसिंह के नाम अंकित हुई जो भूमि वादीगण एवम प्रतिवादी संख्या–1 को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि है, श्री सवसिंहजी का निधन हो चुका है ।

3. वादीगणों द्वारा निवेदन किया कि आराजी नम्बर 101/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण एवम आराजी नम्बर 101/1 में 40/143 हिस्सा एवम आराजी नम्बर 101/2 में 54/151 हिस्सा में से वादीगण प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे ।

4. आज राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादी संख्या–1 श्री हिम्मतसिंह पिता सवसिंह राजपुत स्वयं उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया कि वादीगण संख्या 1, 2 जो कि मैरी स्वयं की सगी बहनें है उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

5. चूँकि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा हल्पिया बयान पेश कर दिया है तथा वाद वादीगण स्वीकार किया जाने में उन्होनें कोई आपत्ति पेश नहीं कर निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1, 2 जो कि मैरी स्वयं की सगी बहनें है उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जावे ।

6. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा अमरपुरा (जागीर) पटवार मण्डल अमरपुरा (जागीर) तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 101/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण एवम आराजी नम्बर 101/1 में

40/143 हिस्सा एवम आराजी नम्बर 101/2 में 54/151 हिस्सा में से वादीगण प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

7. पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

8. निर्णय खुले ईजलास कैम्प कोर्ट ''अमरपुरा(जा.)'' पर सुनाया गया ।

(वार सिंह) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर